बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 2439

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

अनोपचारिक रू रा सं नापार्शित

महालेखाकार, बिहार,
पटना ।

पटना, दिनांक– 9.10.13

विषयः– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में संशोधन एवं दर वृद्धि की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों में हुए मूल्य वृद्धि के कारण पूर्व से निर्धारित प्रावधानों में जून 2013 CPI के आलोक में दरों में संशोधन एवं दर में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । अतः राज्य सरकार के सम्यक विचारोपरान्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को समुचित एवं स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय आदेश सं0–19 दिनांक–14–02–2011 के द्वारा संसूचित प्रावधानों एवं दरों में संशोधन कर वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है ।

2. दर पुनरीक्षण के आलोक में संशोधित दर मदवार निम्न प्रकार है, जो अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के संधारण हेतु उपलब्ध बजट शीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा– 0003–आवासीय विद्यालय मांग संख्या 44 विपत्र कोड संख्या N2225012770003 तथा अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के लिए 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–277–शिक्षा–0004–आवासीय विद्यालय मांग संख्या 44 विपत्र कोड संख्या–N2225022770004 अन्तर्गत सामग्री पूर्तियाँ इकाई मद से वहन किया जायेगाः–

कम संख्या	मद का नाम	संशोधित दर (रुपये में)
1	2	3
1	भोजन (जलपान सहित) प्रति छात्र प्रति माह (क) वर्ग 1 से 5 तक (ख) वर्ग 6 से 12 तक	 1210 1610
2	वस्त्र प्रति छात्र प्रति वर्ष (क) वर्ग 1 से 5 तक (ख) वर्ग 6 से 12 तक	 2100 2630

कम संख्या	मद का नाम	संशोधित दर (रुपये में)
1	2	3
3	तेल, साबुन, सोडा प्रति छात्र प्रति माह (क) वर्ग 1 से 5 तक (ख) वर्ग 6 से 12 तक	 140 140
4	दवा प्रति छात्र प्रति माह (क) वर्ग 1 से 5 तक (ख) वर्ग 6 से 12 तक	 120 120
5	पठन पाठन सामग्री प्रति छात्र वार्षिक व्यय (क) वर्ग 1 से 5 तक (ख) वर्ग 6 से 12 तक	 1230 1540
6	व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रति छात्र वार्षिक व्यय (वर्ग 6 से 10)	 890
7	कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रति छात्र वार्षिक व्यय (वर्ग 6 से 10)	 890
8	खेल कूद सामग्री/प्रतियोगिता (वार्षिक व्यय प्रति विधालय) (क) प्राथमिक विधालय (ख) मध्य विधालय (ग) उच्च विधालय	 7140 10000 14280
9	सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, वागवानी (वार्षिक व्यय प्रति विधालय) (क) प्राथमिक विधालय (ख) मध्य विधालय (ग) उच्च विधालय	 10710 14280 21410
10	पुस्तकालय व्यय (वार्षिक व्यय प्रति विधालय) (क) प्राथमिक विधालय (ख) मध्य विधालय (ग) उच्च विधालय	 1540 6160 10780
11	दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका (वार्षिक व्यय प्रति विधालय) (क) प्राथमिक विधालय (ख) मध्य विधालय (ग) उच्च विधालय	 3560 5330 12440
12	डीजल (क) प्राथमिक विधालय (ख) मध्य विधालय (ग) उच्च विधालय	 3.5 लीटर/घंटा 3.5 लीटर/घंटा 4.5 लीटर/घंटा
13	सफाई मद (वार्षिक व्यय प्रति विधालय) (क) प्राथमिक विधालय (ख) मध्य विधालय (ग) उच्च विधालय	 175680 175680 292800

कम संख्या	मद का नाम	संशोधित दर (रुपये में)
1	2	3
14	सुरक्षा गार्ड (वार्षिक व्यय प्रति विधालय)	श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर

3– उपरोक्त दर एवं प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

4– यह आदेश दिनांक 01.11.2013 के प्रभाव से लागू होगा।

5– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(एस० एम० राजू)
सरकार के सचिव।
5/10/13

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 2439 पटना, दिनांक– 9.10.13

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार,/योजना एवं विकास विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ वित्त विभाग/शिक्षा विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग / उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग /उप सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/बजट एवं सांख्यिकी कोषांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।
5/10/13

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 2439 पटना, दिनांक– 9.10.13

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
5/10/13

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 2439 पटना, दिनांक– 9.10.13

प्रतिलिपिः– निदेशक, गुलजारबाग प्रेस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि कृपया इसकी 1000 (एक हजार) प्रति मुद्रित कराकर इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

सरकार के सचिव।
5/10/13